भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1056

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करने में आरबीआई का हस्तक्षेप

1056. श्री दुरई वाइको:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत एक वर्ष के दौरान देश में खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का ब्यौरा क्या है; और

(ख) खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी सरकारी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2023 के बाद नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत के साथ अपरिवर्तित रखा और विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन के अवस्फीतिकारी रुख को जारी रखा, क्योंकि खाद्य मूल्य दबाव ने वर्ष 2023-24 में समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित किया। 9 अक्टूबर, 2024 की द्विमासिक समीक्षा में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नोट किया कि खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए बेहतर संभावनाओं और खाद्यान्न के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ, अब चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्द में अवस्फीति के मार्ग पर अधिक विश्वास है। उपरोक्त के मद्देनजर, एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को 'विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन' से बदलकर 'तटस्थ' (न्यूट्रल) करने का फैसला लिया और विकास में सहायता करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के स्थायी संरेखण पर संकेंद्रित रहा।

(ख) आरबीआई की मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के अलावा, सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कई उपाय किए हैं। इनमें खरीद, बफर स्टॉकिंग, खुले बाजार में प्रचालन और भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, केंद्रीय भंडार और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी एजेंसियों को शामिल करते हुए चुनिंदा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के वितरण में सहायता करना शामिल है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता में सुधार हेतु व्यापार नीतिगत उपाय भी किए हैं और जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा अधिरोपित, संशोधित और निगरानी की है।

*****